दिनांक	आज्ञा - पत्र
5/5/25	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2/6/25 को पेश हो।
2/6/25	पत्रावली पेश हुई। आज अधिवक्तागण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 8/7/25 को पेश हों।
8/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 16/7/25 को पेश हो।
16/7/25	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वादपत्र स्वीकार किया जाकर आदेश लिखित व उक्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली। पत्रावली नियमानुसार बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	लिपिक अन्त० दि० 16/7/2025 को पेश हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय), सीकर

पीठासीन अधिकारी:– ज्वाला सहाय मीणा(आर.ए.एस.)

त्रावली संख्या:– 407/2008

राजेन्द्र दत्तक पुत्र श्री खींवाराम जाति जाट निवासी ग्राम बेरी(स्वरूपपुरा) ढाणी महणो की तहसील व
जिला सीकर

–वादी:–

बनाम

1. महाप्रबन्धक, अ0वि0वि0 निगम लिमिटेड अजमेर
2. सहायक अभियन्ता (ग्रामीण) पिपराली अ0वि0वि0 निगम लि0 सीकर
3. जवाहराराम पुत्र पोखर
4. रामलाल पुत्र पोखर
5. मोहनलाल पुत्र पोखर
6. हीरालाल पुत्र पोखर
   समस्त जाति जाट निवासीगण बेरी (स्वरूपपुरा) ढाणी महणो की तहसील व जिला सीकर
7. बेगाराम (फौत)
   7/1. श्रीमती केशरी द्रेवी बेवाह स्व0 बेगाराम
   7/2. त्रिलोकचन्द पुत्र स्व0 बेगाराम
   7/3. दयानन्द पुत्र स्व0 बेगाराम
   7/4. श्रीचन्द पुत्र स्व0 बेगाराम
   7/5. श्रीमती शारदा पुत्री स्व0 बेगाराम
   7/6. श्रीमती संजू पुत्री स्व0 बेगाराम
   समस्त जाति जाट निवासीगण बेरी (स्वरूपपुरा) ढाणी महणो की तहसील व जिला सीकर
8. रामदेव पुत्र पोखर समस्त जाति जाट निवासीगण बेरी (स्वरूपपुरा) ढाणी महणो की तहसील व जिला सीकर
9. श्रीमती गंगा (फौत)
   9/1. श्रीमती सुन्दरी देवी पुत्री स्व0 पोखर पत्नी डूंगाराम कुल्हरी जाति जाट निवासी चूड़ी अजीतगढ़ जिला झुंझुनू
   9/2. दाखां देवी (फौत)
   9/2/1. ताराचन्द मील पुत्र स्व0 नौरंगलाल मील
   9/2/2. घासीराम मील पुत्र स्व0 नौरंगलाल मील
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम मिर्जवास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
   9/2/3. विजया देवी पुत्री स्व0 नौरंगलाल मील पत्नी श्री बनवारीलाल गढवाल जाति जाट निवासिनी माधोपुरा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर
10. रामेश्वर(फौत)
   10/1. अणची पुत्री स्व0 रामेश्वरलाल

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

10/2. छोटी पुत्री स्व0 रामेश्वरलाल
10/3. रामकोरी पुत्री स्व0 रामेश्वरलाल
10/4. हरदयालसिंह पुत्र रामेश्वरलाल
11. तहसीलदार सीकर।

--:प्रतिवादीगण:--

<u>दावा बाबत उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राजात व स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ</u>

उपस्थितिः–

1. श्री अनिल कुमार भार्गव :– वादी की ओर से।
2. श्री दीनानाथ शर्मा :– प्रतिवादीगण की ओर से।

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

वादी की ओर वाद पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 10 ग्राम बेरी महणों की ढाणी तहसील व जिला सीकर के मूल निवासीगण है। स्व0 रूपाराम के समय से वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 10 के बुजुर्गान के पास ग्राम बेरी महणों की ढाणी में दो किता कृषि भूमि आराजियात क्रमशः खसरा नं0 81 व 84 पुराना कब्जे काश्त में चले आ रहे है। जिन खसरा नम्बरान को पूर्व में हुए भू प्रबन्धन की कार्यवाही के दौरान रूपाराम के दो पुत्रगण बालूराम व डालूराम के पृथक पृथक नाम दर्ज कर दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप खसरा नं0 84 बालूराम के नाम ओर खसरा नं0 81 दुसरे भाई डालूराम के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त भूमियों में से खसरा नं0 81 के नवीन खसरा नं0 162, 163 आबादी व 165 कृषि भूमि परिवर्तित हो गये है तथा खसरा नं0 164 कृषि कूप को भी इसी खसरा भूमि का भाग होना गलत रूप से रेवेन्यु रिकार्ड में अंकित किया गया है। इसी प्रकार खसरा भूमि खसरा नं0 161, 167 परिवर्तित कर दिये गये है। उक्त दोनों खसरा नम्बरान की जमीने अलग अलग बांटी हुई थी। बालू के तीन पुत्र खींवा, पुरा, पोखर हुए व डालू के एक लड़का बेगाराम उत्पन्न हुआ था। बेगा के जन्म लेने से पूर्व नत्थूराम का देहान्त हो गया। नत्थूराम के फौत हो जाने पर उसकी मां तुलछी व उसकी पत्नि मु0 गंगली ओर उसका लड़का बेगा तीनो मु0 गंगली के पिहर मरडाटू चले गये ओर वही रहने लग गये।इन लोगों के मरडाटू चले जाने पर डालू अकेला रह गया। इस कारण वह अपने पास अपने भूआ के लड़के घासी को अपना वारिस बनाकर व गोद लेकर रहने लग गया। ओर उसने तमाम जायदाद का मालिक घीसा को बना दिया। मु0 गंगली जो मरडाटू चली गई थी उसने खींवा व पुरा भाई पोखर से पुर्नविवाह कर लिया और इस विवाह के हो जाने पर पोखर मरडाटू आकर रहने लग गया। इसी दौरान डालू का देहान्त हो गया ओर घासी अकेला रह गया। इस कारण घासी सम्वत 1998 के करीब पोखर मु0 गंगली व बेगा को मरडाटू से अपने पास बेरी वापिस ले आया और पोखर को गोद ले लिया। व तमाम जमीन व जायदाद का मालिक बन गया। पोखरराम की मृत्यु के पश्चात अब नवीन खसरा नं0 162, 163 व 165 व 164 जिनमें गलत रूप से सम्मलित किया गया है के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 व 9 है। इसी प्रकार खसरा नं0 84 के नवीन खसरा नं0 161 व 167 में बालुराम की कृषि भूमि में वादी तथा प्रतिवादी संख्या 10 1/2–1/2 हिस्से के काबिज काश्तकार रेवेन्यु रिकार्ड में अंकित चले आ रहे है। किन्तु खसरा नं0 164 जो कूप का खसरा नम्बर है इससे प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 व 9 का कोई संबंध सरोकार नही है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

फरमाया जाकर खसरा नं0 164 कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 व 9 का नाम हजफ किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 10 को खातेदार उदघोषित किया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 ता 6, 8 व 9 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब दावा पेश किया जिसके अनुसार वाद में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए कथन किया की भूमि खसरा नं0 81 प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 एवं 9 के स्व0 पिता एवं पति श्री पोखरराम के कब्जे काश्त में चली आ रही थी। वर्तमान कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 व 9 का ही है। भूमि खसरा नं0 81 के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ता खसरा नं0 82 जिसके नवीन खसरा नं0 166 अवस्थित है। वादास्पद भूमि खसरा नं0 84 पर खींवा राम पुराराम व पोखरराम पुत्रगण बालूराम बहिस्सा बराबर बहैसियत उत्तराधिकार स्व0 बालूराम खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। दिनांक 18.07.1972 को खींवाराम, पुराराम व पोखरराम के मध्य वादास्पद भूमि खसरा नं0 84 का विधिवत विभाजन हुआ। खसरा नं0 81 जिसके नवीन खसरा नं0 162, 163, 164 व 165 है का ही एक भाग है उक्त कूप की गुण उतर दिशा में खसरा नं0 165 में कदीमी बनी हुई है जो आज भी मौके पर मौजुद है। इस प्रकार उक्त कूप खसरा नं0 84 में न होकर खसरा नं0 81 में अवस्थित है। उक्त कूप उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 व 9 द्वारा सन् 1973 में बनवाया गया था। वादी एवं उसके पिता प्रतिवादी संख्या 10 एवं पूर्व खातेदार खींवाराम ने खसरा नं0 84 में बने कदीमी कुण्ड को गिरदावरियों में पटवारी हल्का से साजिश कर कूप दर्ज करवा लिया जबकि खसरा नं0 84 में कभी कोई कूप रहा ही नही। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज किया जाना प्रार्थनीय है।

वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श 1 लगायत 20 पेश किये तथा जुबानी साक्ष्य पी.डब्लू 1 ता पी.डब्लू 3 पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। जो मुताबिक वाद पत्र व जवाब वाद पत्र के अनुसार रही।

वादी की ओर से न्यायिक दृष्टांत

1- RRT 2024(1) page 386
2- RRT 2024(1) PAGE 437
3- C.J(CIVIL)(RAJ) 2021 PAGE 1651
4- RBJ 2020 PAGE 126
5. RBJ 2022 PAGE 389 पेश किये।

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो अवलोकन किया। वादी वाद में विवादित आराजी खसरा नं0 164 की अपने व प्रतिवादी संख्या 10 के नाम उदघोषण चाही है। वर्तमान जमाबंदी प्रदर्श 1 के अनुसार खसरा 164 रकबा 0.04 है0 गै.मु कुंआ दर्ज है। प्रतिवादीगण अपने जवाब दावा में कथन किया है कि खसरा नं0 164 में कोई कूप नही है केवल कुण्ड है। लेकिन पत्रावली पर उवलब्ध दस्तावेज प्रदर्श संख्या 7 मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं0 164 में कूआ बना हुआ है तथा गुण खसरा नं0 165 में बना हुआ है। भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान खसरा नं0 81 से नवीन खसरा नं0 162, 163, 164, व 165 बनाये गये तथा खसरा नं0 84 से नवीन खसरा नं0 161 व 167 बनाये गये। वर्तमान में कुंआ खसरा 164 में अवस्थित है जो की भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान पुराने खसरा नं0 81 से बना हुआ का अंकन है। लेकिन दस्तावेज प्रदर्श संख्या 12 व 13 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुंआ पुराने खसरा नं0 84 में बना हुआ था जिसके खातेदार

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

काश्तकार वादी पूर्वज थे ना कि खसरा नं0 81 में। अतः भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान खसरा नं0 164 जो कि पुराने खसरा नं0 84 को हिस्सा था जिसको पुराने खसरा नं0 81 का गलत रूप से हिस्सा मानते हुए राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 व 9 की खातेदारी में अंकित हो गया है। न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2024(1) से स्पष्ट है कि "Settement Department cannot change the existing entry without any order of the Competent Court." अतः उपरोक्त विवेचन व न्यायिक दृष्टांतो के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है।

आदेश

वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नं0 164 रकबा 0.0400 है0 गै.मु.कुआ वाके ग्राम स्वरूपपुरा पटवार हल्का बेरी तहसील व जिला सीकर में प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 व 9 का नाम हजफ किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 10 के वारिसान को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(ज्वाला सहाय मीणा)
सहायक कलक्टर (द्वितीय)
सीकर
सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

निर्णय आज दिनांक 16/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय)
सीकर
सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
सत्यमेव जयते

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, (द्वितीय) सीकर

पीठासीन अधिकारी– ज्वाला सहाय मीणा (आर.ए.एस)

ावली संख्याः– 407/2008

राजेन्द्र दत्तक पुत्र श्री खींवाराम जाति जाट निवासी ग्राम बेरी(स्वरूपपुरा) ढाणी महणो की सील व जिला सीकर

–:वादीः–

बनाम

1. महाप्रबन्धक, अ0वि0वि0 निगम लिमिटेड अजमेर
2. सहायक अभियन्ता (ग्रामीण) पिपराली अ0वि0वि0 निगम लि0 सीकर
3. जवाहराराम पुत्र पोखर
4. रामलाल पुत्र पोखर
5. मोहनलाल पुत्र पोखर
6. हीरालाल पुत्र पोखर

समस्त जाति जाट निवासीगण बेरी (स्वरूपपुरा) ढाणी महणो की तहसील व जिला सीकर

7. बेगाराम (फौत)

7/1. श्रीमती केशरी देवी बेवाह स्व0 बेगाराम

7/2. त्रिलोकचन्द पुत्र स्व0 बेगाराम

7/3. दयानन्द पुत्र स्व0 बेगाराम

7/4. श्रीचन्द पुत्र स्व0 बेगाराम

7/5. श्रीमती शारदा पुत्री स्व0 बेगाराम

7/6. श्रीमती संजू पुत्री स्व0 बेगाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण बेरी (स्वरूपपुरा) ढाणी महणो की तहसील व जिला सीकर

8. रामदेव पुत्र पोखर समस्त जाति जाट निवासीगण बेरी (स्वरूपपुरा) ढाणी महणो की तहसील व जिला सीकर
9. श्रीमती गंगा (फौत)

9/1. श्रीमती सुन्दरी देवी पुत्री स्व0 पोखर पत्नी डूंगाराम कुल्हरी जाति जाट निवासी चूड़ी अजीतगढ़ जिला झुंझुनू

9/2. दाखां देवी (फौत)

9/2/1. ताराचन्द मील पुत्र स्व0 नौरंगलाल मील

9/2/2. घासीराम मील पुत्र स्व0 नौरंगलाल मील

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम मिर्जवास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

9/2/3. विजया देवी पुत्री स्व0 नौरंगलाल मील पत्नी श्री बनवारीलाल गढ़वाल जाति जाट

निवासिनी माधोपुरा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर

10. रामेश्वर(फौत)

10/1. अणची पुत्री स्व0 रामेश्वरलाल

10/2. छोटी पुत्री स्व0 रामेश्वरलाल

10/3. रामकोरी पुत्री स्व0 रामेश्वरलाल

10/4. हरदयालसिंह पुत्र रामेश्वरलाल

11. तहसीलदार सीकर।

--प्रतिवादीगण:--

दावा बाबत उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राजात व स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नं0 164 रकबा 0.0400 है0 ो.मु.कुआ वाके ग्राम स्वरूपपुरा पटवार हल्का बेरी तहसील व जिला सीकर में प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 व 9 का नाम हजफ किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 10 के वारिसान को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(ज्वाला सहाय मीणा)
सहायक कलक्टर, (द्वितीय)
सीकर
सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	36.00
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	36.00	आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड	41.00	जोड	36.00

आज तारीख 16.07.2025 मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

सहायक कलक्टर(द्वितीय)
सीकर
सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर